


240



श्री जी. एन. सिंह
आदेश न्यायालय 29/3/12
कोर्ट-अपील 42
509/07
30
29/3/12

~~R-931-J/12~~ R-946-J/12

- 1. बाके लाल सिंह
- 2. शीतल सिंह

तनय श्यामले सिंह परिहार निवासी ग्राम सतनरा कोठार तहसील
गोपद बनावस जिला सीधी (म०प्र०)आवेदक गण

बनाम

- 1. रामपत सिंह तनय जानकी सिंह
- 2. बाबू सिंह तनय जानकी सिंह
- 3. देवेन्द्र सिंह तनय जगबन्धन सिंह
- 4. वृजेन्द्र सिंह तनय जगबन्धन सिंह
- 5. गोहर सिंह तनय रामप्रताप सिंह
- 6. दददी सिंह तनय वृजमोहन सिंह

सभी निवासी ग्राम सतनरा कोठार तहसील गोपद बनावस जिला-सीधी (म०प्र०)

.....अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनावस/सिहावल जिला-सीधी राजरव प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2009-2010 आदेश दिनांक 19.12.2011 जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959

मान्यवर

निगरानी प्रकरण के सूक्ष्म तत्व इस प्रकार हैं कि अनावेदक गण क्र 1 से क्र 6 तहसील न्यायालय में इस आधार को नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें बनावस खसरा क्र. 102, 89, 90, 83, 92 परित्यक्त खसरा क्र 291, 292, 295, 298 तथा 302 वि. नं. 5

5/4/12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-946-एक/2012

जिला-सीधी

बाकेलाल सिंह व शीलत सिंह विरुद्ध सम्पत सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-02-2019 28/02/2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/सिहावल, जिला-सीधी के प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2009-2010 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(आर.के. जैन)
सदस्य 2012-119